Uttarakhand Civil Judge (Mains) 2023

वर्तमान परिदृश्य · The Present Day · compulsory paper

CJP · 2023 · निर्धारित समय : तीन घण्टे · पूर्णांक : 150
Time allowed : Three Hours · Maximum Marks : 150

नोट : (i) अभ्यर्थी सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।
(ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं।

Note : (i) Candidate should attempt all the five questions.
(ii) Marks carried by each question are indicated at its end.

1. (अ) 'निर्णयानुसरण का सिद्धान्त' जैसा कि यू.के. एवं भारत में प्रयोज्य है विवेचना कीजिए। सुसंगत निर्णयों का भी संदर्भ दीजिए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)

(ब) "प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से संविदा पर गए हैं।" टिप्पणी करते हुए वर्तमान परिदृश्य में इसकी भारत के संदर्भ में विवेचना कीजिए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)

(a) Discuss the doctrine of 'Stare Decisis' as applicable in U.K. and India. Also refer to relevant cases.
(Words limit : Maximum 200 words)

(b) "The movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract." Comment and point out whether this is applicable in India in present day scenario.
(Words limit : Maximum 200 words)

2. (अ) "प्रत्यर्पण वहाँ प्रारम्भ होता है जहाँ आश्रय समाप्त होता है।" विवेचना कीजिए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)

(ब) कम से कम दो वादों की सहायता से तथ्येन एवं विधि मान्यता का अन्तर बताइए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)

(a) "Asylum stops where extradition begins." Explain.
(Words limit : Maximum 200 words)

(b) Point out the difference between 'De facto' and 'De Jure' Recognition with the help of at least two cases.
(Words limit : Maximum 200 words)

3. (अ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत राजनयिक प्रतिनिधियों की उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार के आधारों की विवेचना कीजिए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)

(ब) न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना एवं इसके द्वारा लागू की जाने वाली विधि का उल्लेख कीजिए। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों की बंधनकारी शक्ति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)

(a) Discuss the basis of immunities and privileges of Diplomatic Agents as provided under International Law.
(Words limit : Maximum 200 words)

(b) State the composition of International Court of Justice and law applied by it. Critically examine the binding force of the decision of this court.
(Words limit : Maximum 200 words)

4. (अ) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (ए.आई.आर. 2014 एस. सी. 1863) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की विस्तार से विवेचना कीजिए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)

(ब) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-ख एवं 243-ग के अन्तर्गत स्थापित पंचायतों के गठन एवं उसकी संरचना का वर्णन कीजिए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)

(a) Explain in detail the decision given by Supreme Court in National Legal Service Authority V. Union of India (AIR 2014 SC 1863)
(Words limit : Maximum 200 words)

(b) Describe the constitution and composition of Panchayats as provided in Articles 243-B and 243-C of the Constitution of India.
(Words limit : Maximum 200 words)

5. (अ) यह कहा जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' में परिवर्तित हो गई है। टिप्पणी करते हुए विवेचना कीजिए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)

(ब) उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता संघ बनाम भारत संघ (2016) 5 SCC 1 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 15
(शब्द सीमा : अधिकतम 200 शब्द)

(a) It is said that 'Procedure established by law' under Art. 21 of the Constitution of India has been converted to due process of law. Comment and discuss.
(Words limit : Maximum 200 words)

(b) Critically examine the judgement pronounced by the Supreme Court in Supreme Court Advocates-on-Record Association V. Union of India (2016) 5 SCC 1.
(Words limit : Maximum 200 words)